(5)

निर्णय वइजलास श्री मनमोहन शर्मा आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :– 47 / 2022 दावा
दायरा दिनांक :– 01.06.2022
निर्णय दिनांक :– 16.01.2023

उनवान

राजस्थान सरकार जर्ये भूमिधारी तहसीलदार छबड़ा जिला बारां।

बनाम

1. राजेन्द्र आत्मज लटूर जाति मेघवाल निवासी पीपल्या जागीर तहसील छबडा।
2. हीरालाल आत्मज भंवरलाल जाति कबाडी निवासी ग्राम खातौली तहसील छबडा।
3. बनवारी आत्मज भंवरलाल जाति कबाडी निवासी खातौली तहसील छबडा।
4. रामकरण आत्मज भंवरलाल जाति कबाडी निवासी खातौली तहसील छबडा।
5. उर्मिला पुत्री लटूर जाति चमार निवासी पीपल्या जागीर तहसील छबडा।
6. मुकेश आत्मज रामदयाल जाति धोबी निवासी पीपल्या जागीर तहसील छबडा।

वाद अन्तर्गत धारा 175 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक :– 16.01.2023

अभिभाषक उपस्थित :– 1. तहसीलदार छबडा – वादी
2. श्री दीपक वर्मा – प्रतिवादी

प्रार्थी राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा द्वारा अप्रार्थीगण, क्रम संख्या 1 राजेन्द्र पुत्र लटूर निवासी ग्राम पीपल्या जागीर तह. छबडा, अप्रार्थी क्रम सं. 2 ता 4 हीरालाल, बनवारी, रामकरण पुत्रान भंवरलाल निवासी ग्राम खातौली तह. छबडा, अप्रार्थी क्रम सं. 5 उर्मिला पुत्री लटूर निवासी ग्राम पीपल्या जागीर तह. छबडा, अप्रार्थी क्रम सं. 6 मुकेश पुत्र रामदयाल निवासी ग्राम पीपल्या जागीर तह. छबडा के विरूद्ध प्रार्थना पत्र इस आशय से पेश किया है कि ग्राम खातौली तहसील छबडा की भूमि खसरा नं. 178 / 33 रकबा 7.08 बीघा भूमि स्थित है। जो मुताबिक जमाबंदी अप्रार्थी क्रम 6 की खातेदारी में दर्ज है। अप्रार्थी क्र. सं. 2, 3 व 4 के द्वारा उक्त भूमि मुताबिक नोटेरी इकरारनामा सम्पूर्ण भूमि प्रतिफल राशि प्राप्त कर अप्रार्थी नं. 2, 3 व 4 को कब्जा सम्भलाया। अप्रार्थी क्रम 2, 3 व 4 कबाडी जाति के है जो अनुसूचित जाति वर्ग के सदस्य नहीं है। उक्त आराजी अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा धारा 42क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का उल्लंघन करके अप्रार्थी क्रम 2, 3 व 4 के पक्ष में जरिये इकरारनामा विक्रय कर कब्जा संभलाया गया। इस प्रकार उक्त आराजी के सम्बन्ध में धारा 42क का उल्लंघन है। उक्त विक्रयपत्र प्रभावशून्य है एवं विधि विरूद्ध है। अप्रार्थी 1 उक्त अवैध बेचानकर्ता है, उक्त आराजियात अप्रार्थी 2, 3 व 4 को अवैधानिक

उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)

दिया है जो अवैधानिक रूप से काबिज है। जिन्हे बेदखल कर कानूनन कार्यवाही की जावे। अप्रार्थी क्रम सं. 6 की और से उक्त आराजियात के सम्बन्ध में एक प्रार्थना पत्र धारा 183बी मुकेश पुत्र रामदयाल जाति धोबी बनाम हीरालाल, रामकरण, बनवारी जाति कबाडी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया, जिसमें प्रतिवादीगणों को अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं मानते हुये धारा 183बी के तहत बेदखली के आदेश दिये गये, प्रतिवादीगण खातेदार की सहमति से काश्त सुपुर्द किये जाने से इस भूमि पर काबिज थे न की जबरन कब्जा किया हुआ है। प्रार्थना पत्र पेश कर धारा 42क का उल्लघंन होने से उक्त भूमि पर से अप्रार्थीगण को बेदखल कर कब्जा राज सात किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

प्रार्थी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी गण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी गण की ओर से जवाब दावा पेश हुआ। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल नामांतरण संख्या 32 ग्राम खातौली, हल्का पटवारी की मौका रिपोर्ट दिनांक 16.05.2022, नकल नामांतरण संख्या 64 दिनांक 16.09.1972, नकल नामांतरण संख्या 166 दिनांक 22.09.1992 ग्राम खातौली, फोटो प्रति इकरारनामा दिनांक 26.04.1996, नकल नामांतरण संख्या 184 ग्राम खातौली दिनांक 5.07.1999, नकल नामांतरण संख्या 750 ग्राम खातौली दिनांक 20.05.2008, नकल नामांतरण संख्या 380 ग्राम खातौली दिनांक 16.10.2020, नकल नामांतरण संख्या 403 ग्राम खातौली दिनांक 22.11.2021, नकल जमाबंदी ग्राम खातौली संवत 2073–76 खाता संख्या 62, नकल नक्शा ट्रेस, नकल खसरा गिरदावरी संवत 2078 पेश की गई। साक्ष्य वादी में पैरोकार सरकार का शपथ पत्र पेश हुआ। साक्ष्य प्रतिवादी में हीरालाल, मुकेश, राजेंद्र का शपथ पत्र पेश हुआ।

वादी के वाद पत्र एवं प्रतिवादी गण के जवाब दावा के आधार पर निम्न तनकी कायम की गई

तनकी नंबर 1– आया कि विवादित भूमि अनुसूचित जाति के सदस्य द्वारा नॉन अनुसूचित जाति के सदस्य को प्रतिफल के बदले स्थानांतरित कर कब्जा सम्भलाया है, जो धारा 42क का उल्लंघन है या नहीं

.....वादी

तनकी नंबर 2– आया कि विवादित भूमि पर किया गया दावा धारा 175 आरटीए के तहत सुनवाई योग्य है या नहीं

.....प्रतिवादी

तनकी नंबर 3– आया कि विवादित भूमि का बेचान प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 को किया जो कानूनन वैध है या नहीं

.....प्रतिवादी

तनकी नंबर 4– आया कि प्रतिवादी क्रम 6 के द्वारा विवादित भूमि को जरिये रजिस्ट्री कराकर कब्जा प्राप्त किया है जो वैध है या नहीं

.....प्रतिवादी

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान वादी की ओर से लिखित बहस पेश हुई। वादी द्वारा लिखित बहस में बताया कि वाके ग्राम खातौली तहसील छबडा जिला बारा राजस्थान की भूमि खसरा नंबर 178/33 रकबा 7.08 बीघा कृषि आराजियात अवस्थित है जो कि मुताबिक जमाबंदी अप्रार्थी क्रमांक 6 के खातेदारी में चली आ रही है। अप्रार्थी क्रम 1 मृतक लटूर के पुत्र राजेंद्र द्वारा उक्त खसरा नंबर 178/33 रकबा 7.08 बीघा भूमि मुताबिक नोटेरी इकरारनामा संपूर्ण भूमि की प्रतिफल राशि प्राप्त कर प्रतिवादी नंबर 2, 3 व 4 हीरालाल, बनवारी, रामकरण जाति

को कब्जा सम्भला दिया गया। अप्रार्थी क्रम 1 जाति मेघवाल जो अनुसूचित जाति के व्यक्ति जबकि अप्रार्थी क्रमांक 2, 3 व 4 गैर अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति नहीं है तथा उपरोक्त वर्णित आराजियात को अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा धारा 42क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का उल्लंघन करके अप्रार्थी क्रमांक 2, 3 व 4 के पक्ष में जरिये नोटेरी इकरारनामा विक्रय पत्र निष्पादन करवाकर कब्जा सम्भला दिया है तथा उक्त विक्रय पत्र से जो कि प्रारंभ से ही शून्य हैं जिसका विधि अनुसार कोई बल नहीं है जिसकी अनुपालना में अप्रार्थी क्रम 1 जो कि आराजियात के अवैधानिक हस्तांतरणकर्ता है के द्वारा उक्त आराजियात के अवैधानिक क्रेता अप्रार्थी क्रम 2, 3 व 4 को कब्जा सुपुर्द कर दिया है। जिस पर प्रार्थी क्रमांक 2, 3 व 4 अवैधानिक रूप से काबिज है। जिसे बेदखल किया जाकर उक्त आराजियात को राज सात किया जाना न्यायहित में अत्यंत आवश्यक है। अप्रार्थी क्रम 6 की ओर से उपरोक्त वर्णित आराजियात के संदर्भ में एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 183बी उनवान मुकेश पुत्र रामदयाल जाति धोबी बनाम हीरालाल, रामकरण, बनवारी जाति कबाड़ी के विरुद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रार्थी के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें प्रतिवादी गणों को अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं मानते हुए धारा 183 बी के तहत बेदखली के आदेश दिए गये। प्रतिवादी गण खातेदार द्वारा सहमति से काश्त सुपुर्द किये जाने से काबिज थे न कि जबरन कब्जा किया हुआ है। प्रार्थी क्रम 1 जो अनुसूचित जाति का व्यक्ति है जिसके द्वारा इकरारनामा नॉन एससी वर्ग के व्यक्ति हीरालाल, बनवारी जाति कबाड़ी को बेचान करने पर प्रतिफल राशि प्राप्त कर कब्जा सम्भलाया गया है। जो वर्तमान में कब्जा काश्त है। इससे काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42क का उल्लंघन हुआ है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अनुसूची में दर्ज अनुसूचित जाति वर्ग में "कबाडी" नाम से कोई जाति नहीं है, इससे प्रतीत होता है कि जो जाति अनुसूची में दर्ज नहीं है वह जाति सामान्य जाति में मानी जायेगी। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाके ग्राम खातौली तहसील छबडा जिला बारां की भूमि खसरा नंबर 178/33 रकबा 7.08 बीघा भूमि आराजियात पर से अप्रार्थीगण को बेदखल किया जाकर राज सात किए जाने की आज्ञा प्रदान करने की कृपा करें।

अभिभाषक प्रतिवादी द्वारा लिखित बहस पेश की जिसमें बताया कि विवादित भूमि अनुसूचित जाति के सदस्य द्वारा नॉन अनुसूचित जाति के सदस्य को प्रतिफल के बदले हस्तान्तरित कर कब्जा सभलाया है, जो धारा 42क का उल्लंघन है या नहीं के परिप्रेक्ष में उक्त कथित बेचान रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा निष्पादित नहीं है। केवल मात्र अनरजिस्टर्ड व अनस्टाम्प नोटेरी पर किया गया है जो साक्ष्य मे ग्राह्य भी नहीं हो सकता तथा भूमि खसरा नंबर 178/33 रकबा 7.08 बीघा भूमि वाके ग्राम खातोली का खातेदार केवल मात्र राजेंद्र पुत्र लटूर मेघवाल ही नहीं था, उक्त भूमियात मे 4/5 हिस्से की खातेदार उर्मिला पुत्री लटूर थी। जिसने उक्त भूमि का कोई बेचान नहीं किया है। राजेंद्र अन्य सहखातेदारों की भूमि बेचान करने हेतु सक्षम व्यक्ति नहीं होने से उक्त कथित नोटेरी इकरारनामा प्रारम्भ से ही शून्य है। क्योंकि उक्त बेचान में अन्य सहखातेदार उर्मिला की कोई सहमती नहीं थी इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा किये गये बेचान का नोटेरी इकरार विधि विरुद्ध होने से शून्य माना जावेगा।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 को अनुसूचित जाति का सदस्य नही माना है। जो कि मिथ्या है प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 अपने नाम के पीछे कबाडी शब्द का उपयोग करते है जो कि किसी जाति

सम्बन्ध नहीं रखता है कबाडी शब्द केवल मात्र व्यक्ति विशेष द्वारा किये जा रहे कार्य का घोतक है प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 जाति से बैरवा है जो कि राजस्थान सरकार द्वारा जारी जातियों की अनुसूची में अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आती है। प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में सक्षम अधिकारी द्वारा क्रमांक 92/1556 दिनांक 09.12.1992 एवं कार्यालय उपखण्ड अधिकारी छबडा द्वारा जारी प्रमाण पत्र सं. 18096371536 दिनांक 28.03.2018 को बाद जांच जारी किया था जिसमे उसकी जाति बैरवा दर्ज है जो कि वादी द्वारा उक्त कार्यवाही केवल मात्र प्रतिवादी गण को नाजायज रूप से परेशान करने की नियत से दुर्भावनापूर्वक प्रस्तुत की गई है जो विधिविरूद्ध है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किये गये बेचान के नोटेरी इकरार से धारा 42क का कोई उल्लघंन होना नही माना जा सकता है।

विवादित भूमि पर किया गया दावा 175 आरटीए के तहत सुनवाई योग्य है या नही। जिसके अन्तर्गत केवल मात्र बेचान के नोटेरी इकरार को आधार बनाकर उक्त वाद पेश किया गया है। जो चलने योग्य नहीं है। क्योंकि उक्त कथित बेचान अनरजिस्टर्ड व अनस्टाम्पड है। अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर 175 आरटीए कार्यवाही चलने योग्य नहीं है। क्योंकि केवल मात्र नोटेरी इकरारनामे के आधार पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार नही दिए जा सकते और ना ही बेचान के नोटेरी इकरारनामे से किसी भी व्यक्ति का नाम राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद हो सकता है। इसलिए उक्त कथित बेचान के नोटेरी इकरार से धारा 42क का उल्लंघन होना नही माना जा सकता। प्रतिवादी संख्या 1 सम्पूर्ण भूमि का खातेदार नही होने से उसके द्वारा किया गया बेचान का नोटेरी इकरार भी विधि अनुरूप नही था और ना ही सहखातेदार की सहमति थी इसलिए उक्त कार्यवाही 175 आरटीए के तहत चलन योग्य नही है जिसे प्रतिवादी गण द्वारा पूर्ण रूप से साबित किया है।

विवादित भूमि का बेचान प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 को किया जो कानूनन वैध है या नही इस क्रम में ग्राम खातोली की भूमि खसरा नंबर 178/33 रकबा 7.08 बीघा भूमि के खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 व 5 संयुक्त रूप से थे। जिसमे प्रतिवादी संख्या 5 का हिस्सा 4/5 जमाबन्दी था और केवल मात्र प्रतिवादी संख्या 1 राजेन्द्र द्वारा सम्पूर्ण भूमि के बेचान का नोटेरी इकरार प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पक्ष में किया गया जो प्रारम्भ से ही शून्य था। क्योंकि उक्त नोटेरी इकरारनामे में प्रतिवादी संख्या 5 की कोई सहमति नहीं थी और ना ही प्रतिवादी 1 उक्त सम्पूर्ण भूमि के बेचान का इकरार करने के लिये सक्षम व्यक्ति था इसलिए उक्त बेचान प्रतिवादी संख्या 5 के हको तक प्रभाव शून्य है। कथित बेचान केवल मात्र नोटेरी इकरारनामे के आधार पर किया गया है किसी प्रकार का कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज से बेचान नही किया गया है। जिससे किसी भी तरह के खातेदारी अधिकार प्रभावित नही हो सकते है और न ही उक्त बैचान दस्तावेज से राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन किया जा सकता है। इसलिए उक्त बेचान दस्तावेज से राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन नहीं किया जा सकता हो इसलिए उक्त बेचान कानूनन वैध नहीं माना जा सकता है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

प्रतिवादी क्रम 6 के द्वारा विवादित आराजी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है जो वैध है या नही के परिप्रेक्ष में प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा वाके माल खातौली की कृषि भूमि खसरा संख्या 178/33 रकबा 7.08 बीघा को उसके खातेदारान प्रतिवादी सख्या 1 व 5 से अलग–अलग समय पर जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र समुचित प्रतिफल राशि अदा कर क्रय की थी तथा कब्जा प्राप्त किया था एवं उसके उपरान्त प्रतिवादी संख्या 6 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में

(4)....

दरामद हुआ। तभी से प्रतिवादी सं. 6 उक्त भूमि पर लगातार कब्जा काश्त करता चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 व 5 तथा 6 अनुसूचित जाति के सदस्य है तथा वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 6 उक्त भूमि का मुताबिक राजस्व रिकार्ड खातेदार कृषक है, इसलिए उक्त बेचान वैध है ।

वादी द्वारा उक्त वादपत्र प्रतिवादीगण के विरूद्ध मिथ्या एवं मनगंढत आधारों पर केवल मात्र द्वेषतापूर्वक पेश किया है जो सर्वथा विधि विरूद्ध होने से खारिज होने योग्य है। प्रतिवादी संख्या 6 गरीब अनुसूचित जाति का सदस्य है जिसने ब मुश्किल अपने जीवन की सम्पूर्ण कमाई इकट्ठी कर उक्त भूमि को क्रय किया है तथा उक्त भूमि से अपने व अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है, उक्त भूमि को यदि द्वेषतापूर्वक सिवायचक दर्ज कर दिया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 6 को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से सम्भव नही है। प्रतिवादी संख्या 6 वर्तमान में उक्त भूमि का खातेदार कृषक काबिज काश्त करता चला आ रहा है जिसके विरूद्ध वादी द्वारा विधि विरूद्ध एवं मनमाने तरीके से दुर्भावनापूर्वक उसके अधिकारों का हनन करने के उद्देश्य से उक्त कार्यवाही प्रस्तुत की गई है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादी के वाद पत्र का तनकी वार निस्तारण निम्नानुसार किया जाता है–

तनकी नंबर 1– इस तनकी को साबित करने का भार वादी को था। प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम खातोली संवत 2073–76 खाता संख्या 62 के अनुसार राजेंद्र पुत्र लटूर हिस्सा 1/5, उर्मिला पुत्री लटूर हिस्सा 4/5 जाति मेघवाल साकिन पीपल्या जागीर दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबंदी के कॉलम संख्या 11 से 17 में नामांतरण संख्या 380 दिनांक 16.10.2020 से जरिये विक्रय पत्र से खातेदार उर्मिला के हिस्सा 4/5 के स्थान पर क्रेता मुकेश पुत्र रामदयाल जाति धोबी साकिन मोरेली के नाम दर्ज होने का नोट अंकित है। नामांतरण संख्या 403 दिनांक 22.11.2021 से जरिये विक्रय पत्र खातेदार राजेंद्र हिस्सा 1/5 पर क्रेता मुकेश पुत्र रामदयाल जाति धोबी साकिन मोरेली तहसील छबड़ा का नाम दर्ज करने का नोट अंकित है। मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी गुगोर दिनांक 16.05.2022 के अनुसार तहसीलदार छबडा के मौखिक आदेशानुसार ग्राम खातोली की भूमि खसरा नंबर 178/33 रकबा 7.08 बीघा भूमि का मौका देखा गया। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2073–76 खाता संख्या 62 में भूमि मुकेश पुत्र रामदयाल जाति धोबी साकिन मोरेली के नाम दर्ज रिकॉर्ड है उक्त भूमि पर वर्तमान में हीरालाल वगै. पुत्र भंवरलाल जाति कबाड़ी का कब्जा काश्त होना बताया है। नकल नामांतरण संख्या 32 के अनुसार विवादित आराजी कंवरिया पुत्र काना को आवंटन होने पर गैर खातेदारी में दर्ज हुआ। नकल नामांतरण संख्या 64 दिनांक 16.09.1972 के अनुसार गैर खातेदारी से खातेदारी में दर्ज करने का नामांतरण दर्ज किया गया। नकल नामांतरण संख्या 166 दिनांक 22.09.1992 से कंवरिया द्वारा लटूर पुत्र गणेश जाति चमार के पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण दर्ज किया होना पाया जाता है। नकल नामांतरण संख्या 184 दिनांक 5.07.1999 खातेदार लटूर के फोत होने पर उनके वारिसान के नाम तस्दीक किया गया। नकल नामांतरण संख्या 750 दिनांक 20.05.2008 खातेदार बनासी, सावित्री द्वारा अपना हिस्सा 3/5 सहखातेदार उर्मिला के पक्ष मे हक त्याग करने पर नामांतरण तस्दीक किया जाना पाया जाता है। नामांतरण संख्या 380 खातेदार उर्मिला द्वारा अपना 4/5 हिस्सा मुकेश पुत्र रामदयाल को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से बेचान करने पर नामांतरण दर्ज किया गया तथा नामांतरण संख्या 403 दिनांक 22.11.2021 खातेदार राजेंद्र द्वारा अपना हिस्सा 1/5 जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से बेचान

(5)....

पर दर्ज होना पाया जाता है। प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम खातौली संवत 2073–76 के आधार पर वर्तमान में क्रेता मुकेश पुत्र रामदयाल जाति धोबी के खातेदारी में दर्ज है। हल्का पटवारी गुगोर की रिपोर्ट के आधार पर कब्जा हीरालाल पुत्र भंवरलाल का होना बताया है।

विवादित भूमि अनुसूचित जाति के सदस्य द्वारा नॉन अनुसूचित जाति के सदस्य को बेचान कर कब्जा संभलाया है, जो धारा 42क का उल्लंघन है उक्त बेचान रजिस्टर्ड विक्रय पत्र नहीं है। केवल अनरजिस्टर्ड फोटोप्रति है, जो कानूनन पठन योग्य नही है तथा साक्ष्य मे ग्राह्य नहीं है। विवादित आराजी खसरा नंबर 178/33 रकबा 7.08 बीघा भूमि वाके ग्राम खातोली का खातेदार केवल राजेंद्र पुत्र लटूर मेघवाल ही नहीं था, उक्त भूमि की 4/5 हिस्से की खातेदार उर्मिला पुत्री लटूर भी थी। जिसने भूमि का कोई बेचान नहीं किया है। खातेदार राजेंद्र अन्य सहखातेदारों की भूमि बेचान नहीं कर सकता है। इसलिए उक्त नोटेरी इकरारनामा शून्य हैं। प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा किया गया बेचान का नोटेरी इकरारनामा विधि विरुद्ध होने से शून्य माना जायेगा। कब्जे के सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा स्वयं वादपत्र में अवगत करवाया कि अप्रार्थीगण क्रम संख्या 2, 3 व 4 अप्रार्थी क्रम संख्या 6 खातेदार की सहमति से काश्त सुपुर्द किये जाने से काबिज थे न की जबरन कब्जा किया हुआ है। विक्रेता अनुसूचित जाति के व्यक्ति थे तथा उनके द्वारा बेचान भी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के पक्ष में किया गया है इसलिए धारा 42क का उल्लंघन होना प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार वादी उक्त तनकी को साबित करने में विफल रहे हैं अतः यह तनकी वादी के विरुद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नंबर 2– इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी को था। वादी द्वारा केवल मात्र बेचान के नोटेरी इकरार को आधार बनाकर उक्त वाद धारा 175 आरटीए के तहत पेश किया गया है जो चलने योग्य नहीं है। क्योंकि उक्त वाद पत्र अनरजिस्टर्ड बेचान फोटो प्रति पर पेश किया है। अनरजिस्टर्ड फोटो प्रति के अनुसार बेचान मात्र राजेंद्र खातेदार द्वारा किया है अन्य खातेदार द्वारा बेचान नहीं किया है। राजेंद्र संपूर्ण भूमि का बेचान नहीं कर सकता केवल अपने हिस्से तक बेचान करने का हकदार है। अतः अनरजिस्टर्ड बेचान किया गया नोटेरी इकरार स्वतः ही कानूनन प्रभाव शून्य है। जिसके आधार पर धारा 175 आरटीए की कार्यवाही चलने योग्य नहीं है और ना ही उक्त बेचान में धारा 42क का उल्लंघन हुआ है। प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा किया गया बेचान नोटेरी इकरार भी संपूर्ण नहीं था और ना ही सभी खातेदारों की सहमति थी। वाद पत्र के अनुसार अप्रार्थीगण क्रम संख्या 2, 3 व 4 अप्रार्थी क्रम संख्या 6 खातेदार की सहमति से काश्त सुपुर्द किये जाने से काबिज थे न की जबरन कब्जा किया हुआ है। रजिस्टर्ड बेचान भी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को किया गया है। जिससे धारा 42क का उल्लंघन नहीं होता है वादी द्वारा उक्त वाद पत्र धारा 175 आरटीए के तहत पेश किया है वह चलने योग्य नही होने व सारहीन होने से खारिज योग्य है अतः यह तनकी प्रतिवादी क्रम 1, 5 व 6 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी (द्वारा)

तनकी नंबर 3– इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी को था। विवादित आराजी खसरा नंबर 178/33 रकबा 7.08 बीघा भूमि प्रतिवादी क्रम 1 व 5 के सहखातेदारी मे जरिये जमाबंदी संवत 2073–76 खाता संख्या 62 से साबित होता है। प्रतिवादी क्रम 1 राजेंद्र द्वारा बेचान नोटेरी इकरार प्रतिवादी क्रम 2 ता 4 के पक्ष में किया गया जो शून्य हैं क्योंकि उक्त नोटेरी इकरारनामा में प्रतिवादी क्रम 5 उर्मिला की कोई सहमति नहीं थी और न ही नोटेरी इकरारनामे पर प्रतिवादी क्रम 5 के हस्ताक्षर है। मात्र प्रतिवादी क्रम 1 खातेदार को संपूर्ण भूमि बेचान करने का कोई अधिकार नहीं

लिए उक्त बेचान प्रतिवादी क्रम 5 के हको तक प्रभाव शून्य है। उक्त बेचान कानून वैध नहीं ...ा जा सकता है। वादी द्वारा उक्त बेचान के आधार पर धारा 42क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का उल्लंघन होना वर्णित कर धारा 175 आरटीए का वाद पत्र प्रस्तुत किया है जो सारहीन होने से खारिज योग्य है। अतः यह तनकी प्रतिवादी क्रम 6 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नंबर 4– इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी क्रम 6 के द्वारा विवादित आराजी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय किया है तथा कब्जा प्राप्त किया है जो कानूनन वैध है। विवादित आराजी वाके ग्राम खातौली के खसरा नंबर 178/33 रकबा 7.08 बीघा को खातेदारान प्रतिवादी क्रम 1 व 5 द्वारा अलग–अलग बेचान कर कब्जा प्रतिवादी क्रम 6 द्वारा प्राप्त किया था। रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों के आधार पर प्रतिवादी क्रम 6 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद है। प्रतिवादी क्रम 6 का भूमि क्रय के बाद से कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी द्वारा अपने वाद पत्र में यह उल्लेख किया गया था कि प्रतिवादी क्रम 6 द्वारा कब्जे बाबत एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183बी उनवान मुकेश बनाम हीरालाल वगै. प्रस्तुत किया था। जिसमें धारा 183बी के तहत बेदखली के आदेश दिए गये। परंतु वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य व रिकॉर्ड पेश नहीं किया जिससे यह साबित होता है की प्रतिवादी के द्वारा बेदखली होने का प्रार्थना पत्र पेश किया हो। प्रतिवादी क्रम 1 व 5 एवं प्रतिवादी क्रम 6 अनुसूचित जाति के सदस्य होने से किया गया बेचान कानूनन वैध है। अतः यह तनकी प्रतिवादी क्रम 1, 5 व 6 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

प्रतिवादी क्रम 6 मुकेश पुत्र रामदयाल जाति धोबी अनुसूचित जाति का व्यक्ति है जिसके द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से भूमि क्रय की गई है। जो वर्तमान में सह–खातेदार कृषक है। अनुसार वाद पत्र अप्रार्थीगण क्र. संख्या 2, 3 व 4, अप्रार्थी क्रम संख्या 6 खातेदार की सहमति से काश्त सुपुर्द किये जाने से काबिज थे न की जबरन कब्जा किया हुआ है। वादी द्वारा विधि विरुद्ध प्रतिवादी गण के विरुद्ध वाद पत्र पेश किया है जो कानूनन चलने योग्य नहीं होने एवं सारहीन होने से खारिज योग्य है। प्रतिवादी क्रम 2 ता 4 को यदि किसी प्रकार की कोई आपत्ति थी तो वह अपना पक्ष खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु रखते। प्रतिवादी क्रम 2 ता 4 द्वारा मात्र प्रतिवादी क्रम 1 राजेंद्र से संपूर्ण भूमि नोटेरी इकरारनामे फोटोप्रति से क्रय की गई है। जबकि राजेंद्र संपूर्ण भूमि का खातेदार नहीं था उसका मात्र 1/5 हिस्सा था, वह भाग मात्र 1/5 हिस्से का बेचान करने का हकदार था। अतः प्रथम दृष्टया वाद प्रारंभ से शून्य हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 का उल्लंघन नहीं होने से प्रकरण धारा 175 आरटीए चलने योग्य नहीं होने व सारहीन होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद सारहीन होने से खारिज किया जाता है। तद्नुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

16/01/2023
(मनमोहन शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी आर.ए.एस.
छबड़ा (बारां)
न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी छबड़ा

(11)

...यालय उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 47/2022	धारा अन्तर्गत 175 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांक : 16.01.2023
समक्ष : मनमोहन शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषक वादी:—सरकार तहसीलदार छबडा	अभिभाषक प्रतिवादी:— दिपक वर्मा	

वाद शीर्षक

उनवान

1. राजस्थान सरकार जर्ये भूमिधारी तहसीलदार छबड़ा जिला बारां।

बनाम

1. राजेन्द्र आत्मज लटूर जाति मेघवाल निवासी पीपल्या जागीर तहसील छबडा।
2. हीरालाल आत्मज भंवरलाल जाति कबाडी निवासी ग्राम खातौली तहसील छबडा।
3. बनवारी आत्मज भंवरलाल जाति कबाडी निवासी खातौली तहसील छबडा।
4. रामकरण आत्मज भंवरलाल जाति कबाडी निवासी खातौली तहसील छबडा।
5. उर्मिला पुत्री लटूर जाति चमार निवासी पीपल्या जागीर तहसील छबडा।
6. मुकेश आत्मज रामदयाल जाति धोबी निवासी पीपल्या जागीर तहसील छबडा।

.....प्रतिवादी

: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद सारहीन होने से खारिज किया जाता है। तद्नुरूप डिक्री पर्चा जारी किया।

साथ ही नियमानुसार .....×..... रू0 का व्ययानुतोष .....×..... द्वारा ....×..... को प्रदान किया जाए।

उक्त आदेश मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 16.01.2023 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छबडा

व्ययानुतोष

क्र. सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		